ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00018

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 18/17

1. सतनाम सिंह पुत्र स्व0 करतार सिंह जाति अरोड़ासिख निवासी चक 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मनमोहन सिंह पुत्र स्व0 करतार सिंह जाति अरोड़ासिख निवासी चक 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. बृजमोहन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति अरोड़ासिंख निवासी 35 साउथ पंटेल नगर देहली।
2. अमृतपाल सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति अरोड़ासिख निवासी 96 एच ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
3. अरविन्द्र कौर पुत्री बलवन्त सिंह जाति अरोड़ा सिंख निवासी 35 साउथ पटेल नगर देहली।
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार, श्री गंगानगर दिनांक 18–07–14

उपस्थित :
1. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री दिनेश छाबड़ा, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस

आदेश

दिनांक : 14.10.2021

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप मे इस प्रकार है कि आदेश तहसीलदार श्रीगंगानगर दिनांक 10.02.2017 जो कि इन्तकाल संख्या 96 की पुश्त पर दर्ज किया गया है गलत खिलाफ कानून ,खिलाफ वाकेआत होने से हर प्रकार से ही निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्टस के पिता हरनाम सिंह का उक्त भूमि पर ना तो कभी कब्जा रहा है ना ही कभी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का कभी कब्जा रहा है इस प्रकार से कब्जा के अभाव में कानूनन इन्तकाल नहीं किया जा सकता जैसा कि लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स में आदेशात्मक प्रावधानों में अर्कित किया गया है कि कब्जा की जांच की जानी आवश्यक है। मगर कब्जा के बारे में कोई जांच नहीं की कब्जा अपीलांटस के पिता का अरसा करीब 60 साल से चला आया तथा उसके बाद अपीलांटस का चला आ रहा है। पटवारी हल्का ने भी विवाद चलने पर कब्जा अपीलांटस के पिता का 60 साल से होने का लिखित में भी दिया हुआ था इस प्रकार से कब्जा अपीलांटस का चला आ रहा होने से भी किसी अन्य के हक में कानूनन इन्तकाल नहीं किया जा सकता एवं अहम तथ्य पर अदालत मातहत ने ना तो गोर किया ना ही जांच करवाने अथवा आवश्यक रिकॉर्ड मंगवा कर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

देखा गया है। इस भूमि के सम्बन्ध में विवाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. में चल रहा है जिसमें अपीलान्टस के हक में स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। इस प्रकार से यदि अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वह सही स्थिति स्पष्ट करते। इसके अलावा इस स्थगन आदेश का रिकॉर्ड तहसील कार्यालय में भी मौजूद है। जब तक स्वामित्व के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता है कानूनन भी इन्तकाल नहीं किया जा सकता। अतः अदालत मातहत ने इन्तकाल नियमों की भी जानबूझ कर अनदेखी की गई है। अतः बिना कानूनी प्रकिया अपनाए बिना इन्तकाल नियमों की पालना किए तथा बिना लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना किए ही आदेश पारित किया गया है। अभी तक खाता भी संयुक्त खाता है जिसमें कई हिस्सेदार दर्ज है लेकिन किसी प्रकार की इस बारे में जांच किए तथा बिना सभी को बुलाए सुने ही आदेश पारित किया गया है। बिना जांच के 116 हिस्सा रेस्पोडेन्ट के नाम से इन्तकाल दर्ज करके भारी कानूनी भूल की गई है। अदालत मातहत के द्वारा इन्तकाल तस्दीक करते समय अपीलान्टस को कोई नोटिस नही दिया गया जबकि जमीन का कब्जा अपीलान्टस का चला आ रहा है। इस प्रकार से एकतरफा आदेश पारित किया गया है जिससे न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तो की पालना नहीं हो पाई है। अदालत मातहत को ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार ही नहीं था क्योंकि मामला उच्च अदालतों में विचाराधीन है तथा उन अदालतों का मार्गदर्शन ही नहीं लिया गया है। अदालत मातहत के द्वारा आदेश जेर अपील पारित करते समय लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स की धारा 125 से 132 तक की कोई भी पालना नहीं की जो कि आवश्यक प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय व आदेश जेर अपील इन्तकाल नम्बर 96 को निरस्त करने का हुक्म फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रारम्भिक कानून ऐतराज एवं ऐतराज पर लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अपीलार्थीगण की ओर से उपरोक्त अनवान की अपील तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 10.02.2017 के खिलाफ प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा विरास्तन इंतकाल स्वीकृत करने के आदेश पारित किये गये है एवं इस आदेश दिनांक 10.02.2017 की पालना में इंतकाल संख्या 96 स्वीकृत किया गया है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इंतकाल संख्या 96 की पुश्त पर तहसीलदार के आदेश का संक्षिप्त विवरण अंकित है। उक्त अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यह कथन मीमो ऑफ अपील में अंकित करते हुए प्रस्तुत की गयी है कि अपीलाधीन आदेश एवं इसकी पालना में स्वीकृत किया गया इन्तकाल बिना अपीलार्थीगण को सुने एक पक्षीय बिना नोटिस दिये पारित किया गया है अर्थात धारा 135(1)राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में इन्तकाल स्वीकृत होने का कथन अंकित कर माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है जो कि माननीय न्यायालय द्वारा गलत रीडर रिपोर्ट पर दर्ज की जाकर स्थगन आदेश जारी किया गया है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 इस सन्दर्भ में निवेदन करता है कि इंतकाल नम्बर 96 की पुश्त एवं आदेश तहसीलदार दिनांकित 10.02.2017 का तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दौराने विचारण इंतकाल प्रकिया अपीलार्थी के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर विरास्तन इंतकाल स्वीकृत ना किये जाने के सन्दर्भ में प्रस्तुत आक्षेप आवेदन पत्र का माननीय अपीलीय न्यायालय यदि गहनता से अवलोकन करे तो स्पष्ट होगा कि विरास्तन इंतकाल स्वीकृत करने का आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर यह ऐतराज प्रस्तुत किया कि विरास्तन इंतकाल स्वीकृत ना किया जावें। उक्त आक्षेप के प्रस्तुत होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षों को सुनकर एवं दोनो पक्षों की उपस्थिती में इंतकाल स्वीकृत करने का आदेश पारित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन)

किया गया है जो कि कन्टेस्टेड इंतकाल की परिभाषा में आता है एवं धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पारित आदेश होने के कारण माननीय न्यायालय को धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत ऐसे आदेश एवं इंतकाल के खिलाफ अपील सुनने का श्रवणाधिकारिता हासिल नहीं है वरन् धारा 75 (1)(एफ) एल.आर.एक्ट के तहत केवल माननीय संभागीय आयुक्त ही अपील सुनने का श्रवणधिकारिता रखते है इसलिये अपील क्षेत्राधिकारविहिन एवं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की ना होने के बावजूद प्रस्तुत की गयी होने के कारण इसी अहम कानूनी बिन्दू पर इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निम्न न्यायिक दृष्टान्त स्पष्ट है जो इस कानूनी स्थिती को सुस्पष्ट करते है कि कन्टेस्टेड इंतकाल के खिलाफ अपील माननीय न्यायालय में नहीं होती है एवं क्षेत्राधिकारविहिन प्रस्तुत अपील में स्थगन पारित नहीं किया जा सकता है :–

2006(1)आरआरटी 726

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT 1956, SECTION 135(2)- Appeal before the Collector against the order of Tehsildar--Disputed mutation--Appeal was maintainable u/Sec. 75(1)(f) before the Director, Land Record or Divisional Commissioner-- Held, order is without jurisdiction & set aside.

1997RBJ 198

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT 1956, SECTION 135(2)-IN CASE OF DISPUTED MUTATION-- APPEAL WILL LIE BEFORE THE COMMISSIONER, a perusal of Section 135 makes it clear that under the act , the powers to record the mutations is given to Tehsildar. The Tehsildar on receiving a report or the facts coming otherwise to his knowledge conducts such inquiry as appears necessary, in an undisputed case, if the succession or transfer or other activity appears to have been taken place, shall record the same in the annual registers. Sub clause(2) of Section 135 indicates that if the succession or transfer is disputed, then if competent under the Act or any other law for the time being in force, decided such dispute according to law and if not so competent, refer the dispute to any other officer so competent for decision. Thus, if appears that present matter was a disputed one, therefore, the appeal was liable to be filed before the Commissioner against the order of Tehsildar.

निगरानी / एल.आर. / 5248 / 2018 / श्रीगंगानगर गुरचरण सिंह वगैरा बनाम मक्खन सिंह वगैरा राजस्व मण्डल, अजमेर निर्णय दिनांक 25.04.2019 का अवलोकन फरमावें।

अपीलाधीन आदेश दिनांकित 10.02.2017 एवं इसकी पालना में स्वीकृत किया गया इंतकाल संख्या 96 विवादित होने एवं धारा 135(2) एल.आर.एक्ट के तहत पारित किया गया होने के कारण अपील सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अपील रीडर की गलत रिपोर्ट पर दर्ज की जाकर सुनवाई की जा रही है एवं क्षेत्राधिकारविहिन स्थगन पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त तथ्य का ध्यान न्यायालय के समक्ष अपील के किसी भी स्तर पर आने पर न्यायालय को अपील के संधारण करने की शाक्ति ना प्राप्त होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। उक्त तथ्य कानूनी है जिसका सर्वप्रथम निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलार्थीगण उक्त कानूनी बिन्दु पर निरस्त फरमायी जावें।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रारम्भिक ऐतराज के जवाब में कथन किया कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 10.02.2017 को विरास्तन इंतकाल तस्दीक किया गया, जिसकी अपील धारा 75 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत पेश

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

की गई है जो बिल्कुल सही पेश की गई है क्योंकि तहसीलदार द्वारा इंतकाल करने से पूर्व अपीलांटस को कोई नोटिस जारी नहीं किया ना ही तहसीलदार की पत्रावली में ऐसा कोई नोटिस लगा हुआ है ना ही नोटिस जारी होने का नोट अंकित है, अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2016 को यह कथन करके पेश किया था कि उसको पता चला है कि उपरोक्त रकबा का इंतकाल किया जा रहा है उसे रोका जावे लेकिन उस समय तक अमृतपाल द्वारा ना तो कोई प्रार्थना पत्र इंतकाल करवाये जाने का प्रस्तुत किया था ना ही उस समय तक कोई इंतकाल की कार्यवाही शुरू हुई थी, अमृतपाल सिंह ने दिनांक 28.12.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर इंतकाल की कार्यवाही आरम्भ की गई थी, इस प्रकार अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अत धारा 135 के तहत ही दर्ज किया गया है, इस प्रकार धारा 135 के तहत दर्ज मामले में पारित यकतरफा आदेश के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को ही है। अतः रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। अपीलांट द्वारा दिनांक 14.02.2017 को अपील पेश की गई थी जो दिनांक 14.02.2017 को दर्ज करके रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट दिनांक 15.03.2017 को पेश हो गये थे मगर उन्होने इस प्रकार का कोई उजर प्रस्तुत नहीं किया था, अन्तिम स्टेज पर मामला पहुंच गया है, इस स्टेज पर ऐसा प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। तहसीलदार द्वारा जो अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि सतनाम सिंह को सुना गया लेकिन अपीलांट सतनाम सिंह कभी इंतकाल की कार्यवाही में पेश ही नही हुआ ना ही अपीलांट सतनाम सिंह के कही फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर है ना ही सतनाम सिंह के नाम से कोई नोटिस जारी किया गया है, इस प्रकार वास्तव में अपीलांट सतनाम सिंह को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अतः धारा 135 का मामला होने से आदेश 135 एलआरएक्ट में ही पारित किया गया है जिसकी अपील सही तौर से की गई है। तहसीलदार की पत्रावली से यह बात स्पष्ट साबित है कि मामला धारा 135 में दर्ज किया गया व 135 में ही आदेश पारित किया गया है। लिहाजा जवाब प्रारम्भिक व कानूनी ऐतराज पेश करके अर्ज है कि रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, श्री गंगानगर द्वारा अपने प्रकरण सं0 35/2016 में पारित निर्णय दिनांक 10.02.2017 में आदेशिका दिनांक 30.01.2017 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि अपीलांट सतनाम सिंह हाजिर जिसे सुना गया एवंम तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा इन्तकाल संख्या 96 की पुष्त पर भी यह अंकित किया गया है एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 135(2) में उक्त इन्तकाल स्वीकृत किया जाता है। जिससे यह साबित होता है कि इन्तकाल संख्या 96 एलआर एक्ट 1956 की धारा 135(2) के तहत स्वीकृत किया गया है। फलस्वरूप, रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक एवं कानूनी एतराजात का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांकित 10.02.2017 एवं इसकी पालना में स्वीकृत किया गया इंतकाल संख्या 96 विवादित होने एवं धारा 135(2) एल.आर.एक्ट के तहत पारित किया गया होने के कारण अपील सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त तथ्य का ध्यान न्यायालय के समक्ष अपील के किसी भी स्तर पर आने पर न्यायालय को अपील के संधारण

करने की शाक्ति ना प्राप्त होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। अतः अपील अपीलार्थीगण उक्त कानूनी बिन्दु पर निरस्त फरमायी जावें।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 10.02.2017 को विरास्तन इंतकाल तस्दीक किया गया, जिसकी अपील धारा 75 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत पेश की गई है जो बिल्कुल सही पेश की गई है क्योंकि तहसीलदार द्वारा इंतकाल करने से पूर्व अपीलांटस को कोई नोटिस जारी नहीं किया ना ही तहसीलदार की पत्रावली में ऐसा कोई नोटिस लगा हुआ है ना ही नोटिस जारी होने का नोट अंकित है, अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2016 पेश किया था कि उसको पता चला है कि उपरोक्त रकबा का इंतकाल किया जा रहा है उसे रोका जावे परन्तु उस समय तक ना तो कोई प्रार्थना पत्र इंतकाल करवाये जाने का प्रस्तुत किया था ना ही उस समय तक कोई इंतकाल की कार्यवाही शुरू हुई थी, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अमृतपाल सिंह ने दिनांक 28.12.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर इंतकाल की कार्यवाही आरम्भ की गई थी, इस प्रकार अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अत धारा 135 के तहत ही दर्ज किया गया है, इस प्रकार धारा 135 के तहत दर्ज मामले में पारित यकतरफा आदेश के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को ही है। तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि सतनाम सिंह को सुना गया लेकिन अपीलांट सतनाम सिंह कभी इंतकाल की कार्यवाही में पेश ही नही हुआ ना ही अपीलांट सतनाम सिंह के कही फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर है ना ही सतनाम सिंह के नाम से कोई नोटिस जारी किया गया है, इस प्रकार वास्तव में अपीलांट सतनाम सिंह को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अतः धारा 135 का मामला होने से आदेश 135 एलआरएक्ट में ही पारित किया गया है जिसकी अपील सही तौर से की गई है। तहसीलदार की पत्रावली से यह बात स्पष्ट साबित है कि मामला धारा 135 में दर्ज किया गया व 135 में ही आदेश पारित किया गया है। लिहाजा जवाब प्रारम्भिक व कानूनी ऐतराज पेश करके अर्ज है कि रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई :–

1. आर.आर.डी. 2012 पेज– 765 से 767
2. जोधपुर हाईकोट का एस.बी.सिविल रिट पेटीशन नमबर 17312/2016 निर्णय दिनांक 29.05.2019

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2017 को तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं0 2 ने प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2016 को प्रस्तुत कर विरास्तन इंतकाल दर्ज करने की प्रार्थना की थी। अपीलांट सतनाम सिंह द्वारा दिनांक 25.11.2016 को गलत तरीके से इन्तकाल किया जा रहा है उसे रोके जाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 10.02.2017 की आदेशिका दिनांक 30.01.2017 में यह अंकित किया है कि प्रार्थी सतनाम सिंह स्वयं उपस्थित आया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष उपस्थित हो गए हैं और एक पक्ष द्वारा आक्षेप कर देने से अपीलाधीन **इंतकाल विवादित हो गया है।** इस प्रकार अपीलाधीन इंतकाल के विवादित हो जाने के कारण अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार धारा 135(2) के अन्तर्गत इस न्यायालय को नहीं है।

मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आर बी जे (4)1997 पेज 198 में अभिनिर्धारित किया है कि Rajasthan Land Revenue Act 1956 - Section 135[2] In Case of Disputed Mutation- Appeal will lie before the Commissioner.

शासन के परिपत्र सं0 एफ 6 (21) रेवेन्यू/ जीआर /4/ 87/ 29 जीएसआर/60 दिनांक 20–6–87 द्वारा डायरेक्टर लैण्ड रिकार्ड की शक्तियॉ माननीय संभागीय आयुक्त को है।

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश आक्षेप के संदर्भ में दोनों पक्षों को सुनकर पारित किया गया है जो धारा 135(2) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की परिधि में होने से हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। अतः हस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने से अपीलार्थी को लौटाई जाती है। हस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेधाकिार में न होने के कारण अपील में जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ सम्बन्धित तहसीलदार श्रीगंगानगर को भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 14.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(भवानी सिंह, पंवार)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।